UPRB010038012026

बाल न्यायालय/विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम (Exclusive) प्रथम, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी – राम नेत, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6379

दाण्डिक अपील संख्या–31/2026

अपीलार्थी XXX निवासी ग्राम–पैनासी, पोस्ट निहस्था, थाना खीरों, जनपद रायबरेली।

.....अपीलार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जनपद रायबरेली।

-----विपक्षी/उत्तरदाता।

मुकदमा अपराध संख्या–16/2026

धारा–137(2),87,65(1)बी०एन०एस०

तथा धारा 5/6 पाक्सो अधिनियम।

थाना खीरो, जिला रायबरेली।

अपील अन्तर्गत धारा 101 किशोर न्याय अधिनियम।

निर्णय

1– प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की माता की तरफ से संरक्षिका के रूप में किशोर न्याय बोर्ड रायबरेली द्वारा पारित जमानत आदेश दिनांकित 27.05.2026 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2– इस अपील में बाल अपचारी को **बाल अपचारी या अपीलार्थी** के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। मामले की पीड़िता को भी **पीड़िता** शब्द से ही सम्बोधित किया जा रहा है।

3– बाल अपचारी की माता/संरक्षिका की तरफ से अपील कागज संख्या 3 क/1 ता 3 क/4 मय शपथपत्र 4 ख प्रस्तुत करके यह निवेदन की है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.05.2026 विधि विधान के प्रतिकूल है। बाल अपचारी को पुलिस से सांठ–गाठ कर झूठे, असत्य व आधारहीन तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। बाल अपचारी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। बाल अपचारी को किशोर अपचारी घोषित किये जाने के उपरान्त धारा–12 किशोर न्याय अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्राविधानों की अनदेखी करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है। बाल अपचारी/अपीलार्थी पूर्णतया निर्दोष है, उसने कोई घृणित अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना का कोई समय अंकित नहीं है तथा जिस जगह की घटना बतायी जा रही है वहाँ गांव के लोगों का सामान्य रूप से आना–जाना लगा रहता है। कथित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 तथा 183 बी०एन०एस०एस० में विरोधाभाष होने के तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.05.2026 कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। बाल अपचारी/अपीलार्थी को बाल संरक्षण गृह में रखने से उसकी शारीरिक व मानसिक विकास को खतरा उत्पन्न हो गया है। बाल अपचारी/अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या में भी बाल अपचारी/अपीलार्थी का सम्बन्ध किसी असमाजिक तत्वों से होने का तथ्य नहीं अंकित है। बाल अपचारी/ अपीलार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। बाल अपचारी/अपीलार्थी दिनांक 24.03.2026 से बाल संरक्षण गृह लखनऊ में अभिरक्षित है। संरक्षण गृह में रखने

से किशोर अपचारी की शिक्षा–दीक्षा एवं सर्वांगीण विकास की कोई सम्भावना नहीं है। संरक्षिका बाल अपचारी/अपीलार्थी को अपनी देख–रेख व परवरिश में रखेगी, आगे की शिक्षा जारी रखने में उसकी यथोचित मार्गदर्शन व सहयोग करेगी। बाल अपचारी/अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है। इसके अलावा किसी अन्य जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई अपील प्रस्तुत की गयी है और न ही विचाराधीन है तथा न ही स्वीकृत की गयी है और न ही निरस्त की गयी है। बाल अपचारी/अपीलार्थी दौरान लम्बित वाद अपनी विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि न्यायहित में बाल अपचारी/अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर किशोर न्याय बोर्ड रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.05.2026 निरस्त कर बाल अपचारी/अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करते हुए संरक्षिका की सुपुर्दगी में दिये जाने का समुचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

4– प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है लेकिन मौखिक विरोध किया गया है।

5– किशोर न्याय बोर्ड रायबरेली से मूल पत्रावली आहूत होकर इस अपील पत्रावली के साथ संलग्न है। मेरे द्वारा उपरोक्त पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6– किशोर न्याय बोर्ड रायबरेली द्वारा बाल अपचारी/अपीलार्थी की जन्मतिथि 10.12.2008 के आधार पर उसे घटना की तिथि पर 17 वर्ष, 01 माह, 01 दिन का नाबालिग घोषित करके उसके जमानत प्रार्थनापत्र को दिनांक

27.05.2026 को निरस्त कर दिया गया है।

7– किशोर न्याय बोर्ड रायबरेली से तलब मूल पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि पीड़िता अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में यह बयान दी है कि–"मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष है। मैं कक्षा नौ तक पढ़ी हूँ। मेरे पिता मुम्बई में काम करते हैं तथा घर पर मैं, मेरी माँ व छोटी बहन रहते थे। मेरा बाल अपचारी से इंस्टाग्राम से सम्पर्क हुआ था और हम दोनों के मध्य बात–चीत होने लगी थी। बाल अपचारी से लगभग दो साल तक मेरी बात–चीत होती रही और बाल अपचारी कभी–कभी मुझसे मिलने मेरे गांव में आया करता था, फिर मैंने बाल अपचारी से कहा मैं आप से शादी करना चाहती हूँ तब बाल अपचारी ने कहा ठीक है हम शादी कर लेंगे और फिर बाल अपचारी ने योजना बनाई तथा बाल अपचारी के कहने और बुलाने पर मैं दिनांक 11.01.2026 को सुबह लगभग 10 बजे अपने घर से बिना किसी को कुछ बताये लालगंज गयी, वहाँ से बस में बैठ कर कानपुर गयी तथा कानपुर से चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहाँ पर मुझे बाल अपचारी स्टेशन पर लेने आ गया, फिर मैं बाल अपचारी के साथ उसके किराये के कमरे पर चली गयी और पूरी रात हम लोग साथ में रहे। अगले दिन सुबह हम दोनों ने वहीं मन्दिर में जा कर शादी कर ली और लगभग एक डेढ़ महीने हम लोग एक साथ पति–पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ वहीं रहने लगे, फिर दिनांक 19.03.2026 को बाल अपचारी मेरे साथ कानपुर तक आया था तथा कानपुर से मुझे रायबरेली के लिए ट्रेन में बैठा कर वापस चला गया था और मुझसे बोला था कि तुम सेमरी स्टेशन पर उतर कर मेरे घर ग्राम पैनासी थाना खीरों जनपद रायबरेली चली जाना। मैं जैसे ही सेमरी स्टेशन पर उतर कर बैठी थी कि तभी

आप लोगों ने आ कर मुझे पकड़ लिया। मैं और बाल अपचारी शादी करने के बाद एक डेढ़ महीने तक एक दूसरे के साथ पति–पत्नी की तरह एक साथ एक कमरे में रहते थे। बाल अपचारी ने मेरे साथ शादी के पहले तथा शादी के बाद कई बार मेरी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाये हैं। उसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। आखिरी बार का मुझे सही–सही याद नहीं है कि कब शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।"

8– किशोर न्याय बोर्ड रायबरेली से तलब मूल पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि पीड़िता अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में यह बयान दी है कि–"मेरा नाम पीड़िता उम्र 17 वर्ष है। मैं कक्षा नौ पास हूँ। मेरी जन्मतिथि याद नहीं है। मेरे घर वाले मुझे मारते–पीटते थे। दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैं बाल अपचारी से दो साल से Instagram पर बात करती हूँ। मैंने पापा से बाल अपचारी से शादी कराने के लिये कहा तो उन्होने मना कर दिया। मम्मी–पापा मुझे बहुत गन्दी–गन्दी गाली देते थे। दिनांक 11.01.2026 को मैंने बाल अपचारी को फोन करके कहा कि मुझे ले जाओ। मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे कहने पर बाल अपचारी सेमरी आया। तकिया में हम लोग मेला घूमे, फिर बस से कानपुर चले गये। कानपुर से चण्डीगढ़ चले गये। चण्डीगढ़ में मन्दिर में मैंने और बाल अपचारी ने शादी कर ली। पापा के कहने पर मैं दिनांक 22.03.2026 को वापस आयी। बाल अपचारी और मैं मेरी मर्जी से पति–पत्नी की तरह रहे। बाल अपचारी मेरा खयाल रखता है। मैं बाल अपचारी/अपीलार्थी के साथ रहना चाहती हूँ।"

9– जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अपराध का कारण प्रेम प्रसंग का होना बताया है तथा यह भी बताया है कि जांच के समय बाल अपचारी/अपीलार्थी के पास–पड़ोस से पूछ–ताछ करने पर बताया गया कि बाल अपचारी/अपीलार्थी तथा पीड़िता का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों चण्डीगढ़ में मन्दिर में शादी कर लिये थे तथा दोनों दो महीने तक चण्डीगढ़ में साथ रह रहे थे क्योंकि बाल अपचारी/अपीलार्थी चण्डीगढ़ में नौकरी (मजदूरी) करता था जिस कारण वह साथ रह रहे थे। साथ ही यह भी बताया गया कि पुलिस की एफ०आई०आर के बाद बाल अपचारी/अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ अपने घर गांव में बीस दिनों तक साथ रहे उसके बाद पुलिस द्वारा दोनों की गिरफ्तारी हो गयी।

10– चूंकि बाल अपचारी/अपीलार्थी घटना की तिथि पर 17 वर्ष, 01 माह, 01 दिन का नाबालिग पाया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा यह राय व्यक्त की गयी है कि अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध पीड़िता के साथ अपने प्रेम प्रसंग के कारण किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या तथा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 तथा 183 बी०एन०एस०एस० के अनुसार उसका बाल अपचारी/अपीलार्थी के साथ प्रेम प्रसंग होना एवं अपराध की गम्भीर एवं संगीन प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि बाल अपचारी को जमानत देने का आधार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जमानत मिलने के बाद बाल अपचारी पुनः पीड़िता के प्रेम प्रसंग में संलिप्त हो सकता है जिसके कारण वह नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ सकता है जिसके कारण न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है। अतः प्रस्तुत जमानत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आपराधिक अपील संख्या–31/2026 **निरस्त** की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड रायबरेली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–16/2026, अन्तर्गत धारा–137(2),87,65(1) बी०एन०एस० व धारा–5/6 पाक्सो धिनियम, थाना खीरों, जिला रायबरेली में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.05.2026 **पुष्ट** किया जाता है।

आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ किशोर न्याय बोर्ड/अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब किशोर न्याय बोर्ड, रायबरेली वापस भेजी जाए। प्रस्तुत अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

<u>दिनांक 29.06.2026</u>

(राम नेत)
बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश
पाक्सो एक्ट, (Exclusive) प्रथम,
रायबरेली।

उक्त आदेश व निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में आज सुनाया गया।

<u>दिनांक 29.06.2026</u>

(राम नेत)
बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश
पाक्सो एक्ट, (Exclusive) प्रथम,
रायबरेली।

Digitally signed by RAMNET
Date: 2026.06.30 07:32:12 IST
Reason: Copy of Order
Location: Special judge pocso act (exclusive)-I, Raebareli.